नियत तिथि पर पेश हो।

05/07/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी हाजिर नहीं हैं। न्यायालय मे पृथक-पृथक समय पर आवाजें लगाने पर भी हाजिर नहीं हैं। मूल वाद O-9, R-3 CPC के तहत खारिज हो चुका है, अतः T.I. पत्रावली में अब कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः T.I. पत्रावली औचित्यहीन होकर अंतर्गत O-9, R-3 C.P.C. के तहत एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.10.23 16:35:59 IST
Reason: SelfAttested